राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(5)कार्मिक/क–2/15 जयपुर, दिनांकः– 12/10/15

1– समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्र0 शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–संविदा नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में।

सेवा नियमों में संविदा नियुक्तियों का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरूद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण देय होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कार्मिक विभाग की राय हेतु प्रकरण भिजवाये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स में प्रायः बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर के पदों को संविदा नियुक्ति से भरने की सहमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के क्रम में, समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में भी खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जावे तथा ऐसी नियुक्तियों में भी लम्बवत तथा क्षैतिज सहित वे सभी आरक्षण प्रावधान लागू किये जाने चाहिये, जो नियमित पदों पर सीधी भर्ती के समय लागू होते हैं। चूंकि यह भर्ती नियत समय के लिये ही होती है तथा सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाना प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। अतः इसमें किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य (सामान्य) पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. [redacted] सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Ganesh ji//2015/Circular--7

50/2015